



F-07-08

F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1740 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1740

विषय / Sub : थर्मोकपल एक्सटेंशन केबल, पार्ट सं. एसएटीई3320 वाईएच004

Thermocouple Extension Cable, Part No. SATE3320 YH 004

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स सान्गवी ऐरोस्पेस प्राईवेट लिमिटेड, ललित वेयरहाउस के पीछे, कोज़ी होटल के पीछे, नरोल सर्खेज हाइवे, नरोल, अहमदाबाद - 382 405 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "थर्मोकपल एक्सटेंशन केबल" पार्ट सं.: एसएटीई3320 वाईएच004, को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/ टीए-1740, दिनांक 28 दिसंबर 2012, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1740 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक थी।

This is to state that the "Thermocouple Extension Cable", bearing the part number SATE3320 YH 004, designed, developed and manufactured by M/s Sanghvi Aerospace Private Limited, Behind Lalit Warehouse, Behind Cozy Hotel, Narol - Sarkhej Highway, Narol, Ahmedabad - 382 405 was issued with Type Approval No.:1740 vide ref. No.: CEMILAC /5070 /TA - 1740, dated: 28th December 2012, with validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अग्रिम समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर्स), द्वारा एचएएल, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु - 560 017, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st February 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st January 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), C/o HAL, Helicopter Division, Bengaluru - 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1740, दिनांक 28 दिसंबर 2012 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide reference No.: CEMILAC/5070/TA-1740, dated: 28th December 2012 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-1740/1R

दिनांक / Date : 22 February 2018

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

KR. JR.

(पी. जयपाल/P. JAYAPAL)

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)